



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।

वाद सं०—234 / 2022 धारा—144 दं०प्र०स०

गण्डिका खतून —बनाम— मोहम्मद परवेज अली कौंठ

रेख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति
	<p>इस वाद कि कार्रवाई प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। 60 दिन से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं विधि-व्यवस्था भंग होने जैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।</p> <p>अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।</p>	